न्यूज़ टुडे

एक अध्ययन के अनुसार यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियाँ (Permafrost peatlands) टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई हैं

- हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2040 तक, **उत्तरी यूरोप** इतना नम और गर्म हो जाएगा कि यहाँ पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। **पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियाँ एक प्रकार की जमी हुई या हिमीकृत भूमि हैं। इनके नीचे अत्यधिक मात्रा में कार्बन का भंडार या संग्रह मौजूद होता है।**
  - यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामान्य प्रयास ही किए जाएंगे, तो वर्ष 2060 तक, **यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की 75 प्रतिशत पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियों का विनाश हो सकता है।**
- **पीटभूमियाँ**, एक प्रकार की **आर्द्रभूमियाँ होती हैं।** 'पीटभूमि' का आशय पीट मृदा और उस पर विकसित आर्द्रभूमि पर्यावासों से है।
  - कुछ पीटभूमियाँ, **जमी हुई भूमि या पर्माफ्रॉस्ट के नीचे** दब गई हैं और वे पर्माफ्रॉस्ट पीटभूमियों के रूप में मौजूद हैं। ये अलास्का, कनाडा, रूस के उत्तरी इलाकों और उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं।
  - वह क्षेत्र जो कम–से–कम लगातार दो वर्षों से **32 डिग्री फॉरेनहाइट (अर्थात् 0 डिग्री सेल्सियस) या इससे कम तापमान** पर पूरी तरह से जमी हुई अवस्था में है, उसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं।

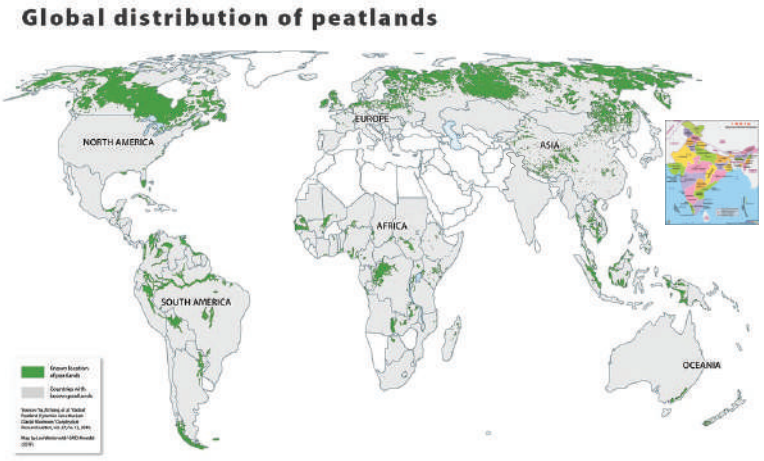

- **ये निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण हैं**
  - **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने** और कम करने के लिए।
  - **जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए।**
  - **बाढ़ के जोखिम को कम** करने के लिए।
  - **सुरक्षित पेयजल** की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए।
    - पीटभूमियाँ कुल वैश्विक स्थलीय क्षेत्र के केवल 3 प्रतिशत भाग पर ही विस्तृत हैं, लेकिन इनमें विश्व के वनों की तुलना में लगभग दोगुना कार्बन का भंडार मौजूद है।
- **खतरे:**
  - कृषि कार्य के लिए **जल–निकासी** और वन भूमियों को जलाना।
  - **जलवायु परिवर्तन।**
  - **वनों की कटाई।**
  - पीट खनन के कारण विनाश (ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने हेतु) , आदि।

वैश्विक पीटभूमि पहल (Global Peatlands Initiative)

- इसे वर्ष 2016 में **मराकेश** में आयोजित **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन** के समय आरंभ किया गया था।
- इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय ऑर्गेनिक कार्बन भंडार के रूप में मौजूद पीटभूमियों का संरक्षण** करना है।

ग्रीन हाइड्रोजन आधारित एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV), टोयोटा मिराई (Mirai) को लॉन्च किया गया

- यह **भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना** है। इसका उद्देश्य देश में **ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पारितंत्र** का निर्माण करना है।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन:** इसका उत्पादन **नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पृथक करके किया जाता है।** इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं।
  - यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ **ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा** देगा। इस प्रकार यह **वर्ष 2047 तक भारत को "ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर" बनने के लक्ष्य** को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- **फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FCEVs) के बारे में:**
  - FCEVs में इलेक्ट्रिक वाहनों के समान, एक प्रणोदन प्रणाली (propulsion system) का उपयोग किया जाता है। इसके तहत हाइड्रोजन के रूप में भंडारित या संग्रहित ऊर्जा को फ्यूल सेल द्वारा विद्युत में बदल दिया जाता है।
  - पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के विपरीत इनसे किसी भी प्रकार का **हानिकारक उत्सर्जन नहीं** होता है।
- **फ्यूल सेल कैसे काम करता है?**
  - वाहनों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश फ्यूल सेल **पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन (PEM) फ्यूल सेल** होते हैं।
  - PEM फ्यूल सेल में, **धनात्मक इलेक्ट्रोड (कैथोड) और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड (एनोड) के बीच इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन** होता है।
  - हाइड्रोजन को एनोड में प्रवेश कराया जाता है, और ऑक्सीजन (हवा से) को कैथोड में प्रवेश कराया जाता है।
  - फ्यूल सेल उत्प्रेरक (fuel cell catalyst) में **विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन अणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विखंडित** हो जाते हैं।

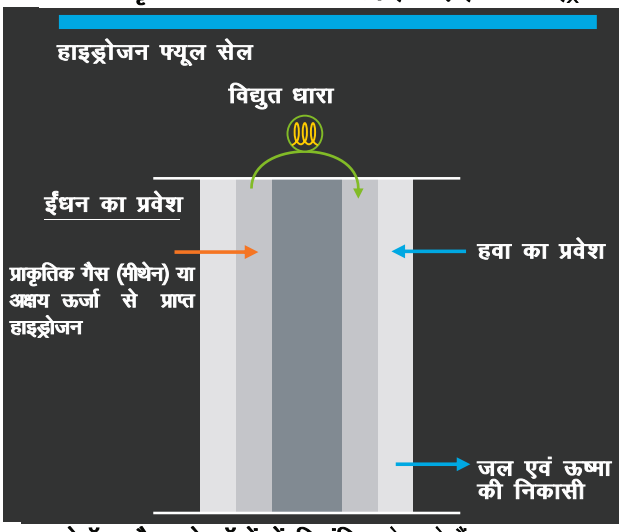

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को 37 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जलाया जाएगा

- **भोपाल** के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के **337 टन जहरीले (खतरनाक) कचरे** को इंदौर के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्रों में एक भस्मक (incinerator) में जलाया जाएगा।
  - वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय UCIL के प्लांट से लगभग 30 टन **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) का रिसाव** हुआ था। इसके बाद इस कचरे को UCIL प्लांट में ही डंप कर दिया गया था।
  - इस प्लांट में डंप किए गए जहरीले कचरे ने प्लांट के अंदर और **आसपास के भूजल को दूषित कर दिया है।** इसके चलते इस प्लांट के आसपास रहने वाले कई लोग **दीर्घकालिक रोगों** (chronic illness) से अभी भी पीड़ित हो रहे हैं।
- वर्ष 1984 में, UCIL के कीटनाशक प्लांट से **मिथाइल आइसोसाइनेट** नामक रसायन का रिसाव हुआ था। इसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैंबर में बदल दिया था।
  - यह **भारत की पहली बड़ी औद्योगिक त्रासदी** थी।
- [redacted]
  - यह रसायन **ऊष्मा के प्रति अत्यधिक अभिक्रियाशील** (highly reactive) है। जल के संपर्क में आने पर मिथाइल आइसोसाइनेट के यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे ऊष्मा अभिक्रिया (heat reaction) आरंभ हो जाती है।
  - **मिथाइल आइसोसाइनेट का अब उत्पादन नहीं** किया जाता है। हालांकि, अभी भी इसका उपयोग कीटनाशकों में किया जाता है।
  - मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आने के तात्कालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में शामिल हैं– **अल्सर, फोटोफोबिया, श्वसन संबंधी समस्याएं, एनोरेक्सिया, लगातार पेट में दर्द, आनुवंशिक समस्याएं,** आदि।
  - इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस (दीर्घकालिक नेत्रश्लेष्मलाशोथ), फेफड़ों को हानि, गर्भपात की दर में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि आदि शामिल हैं।

रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए तंत्र:

- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद, 1987** (ओलियम गैस रिसाव मामला): सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दायित्व के सिद्धांत (strict liability principle) को अपर्याप्त पाया। इसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने **पूर्ण दायित्व का सिद्धांत** (absolute liability principle) लागू किया।
  - **पूर्ण दायित्व का सिद्धांत:** इसके तहत अदालत ने माना कि खतरनाक (hazardous) रसायनों का उत्पादन करने वाली कंपनी, किसी भी प्रकार की रियायत का दावा नहीं कर सकती है। कंपनी को **अनिवार्य रूप से मुआवजा** देना होगा, चाहे आपदा उसकी लापरवाही के कारण हुई हो या नहीं।
- **रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996:** ये नियम रासायनिक आपात की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बनाये गये हैं।
- **खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989:** ये नियम खतरनाक (जहरीले) रसायनों से जुड़े सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं से निपटने के लिए बनाये गये हैं।

केरल, कार्बन–तटस्थ कृषि (carbon-neutral farming) पद्धतियों को अपनाने जा रहा है

- केरल चुनिंदा स्थानों पर **कार्बन–तटस्थ (कार्बन न्यूट्रल) कृषि पद्धतियों को अपनाने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है।** इसके लिए केरल ने अपने बजट 2022–23 में 6 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए हैं।
  - **कार्बन–तटस्थ कृषि:** इसका आशय CO_2 **इक्विवलन्ट (यानी कार्बन डाई ऑक्साइड समतुल्य) के संदर्भ में,** खेतों से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को ग्रीन हाउस गौसों के अवशोषण द्वारा संतुलित करने से है। इससे **निवल शून्य** (net zero) की स्थिति पैदा हो जाती है। फलतः जलवायु तटस्थ प्रणाली सुनिश्चित होती है।
- **कार्बन–तटस्थ कृषि की आवश्यकता क्यों है?**
  - इसमें **कृषि के वर्तमान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की क्षमता है। कृषि क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट** सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% है।
  - इससे **कार्बन उत्सर्जन में कमी** आती है। साथ ही, यह मृदा में कार्बन के भंडारण या संग्रहण में सहायता करती है।
  - ऐसी कृषि से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम किया जाता है, और **खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है।**
  - **इससे मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता में सुधार** होता है। इसके परिणामस्वरूप फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है।
- **कार्बन–तटस्थ कृषि रणनीतियाँ:**

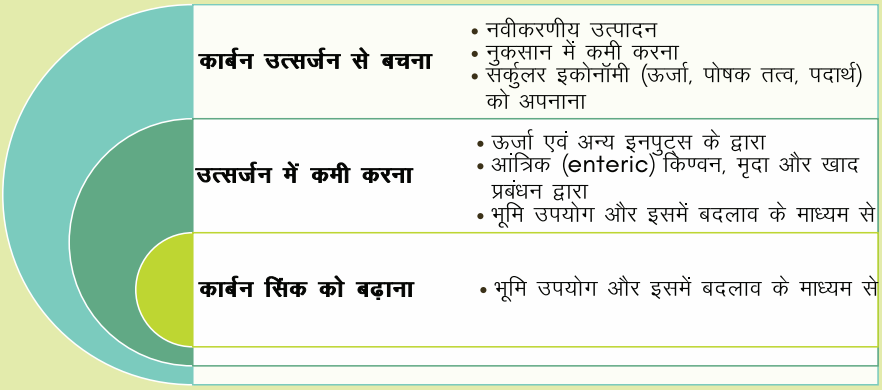

Overview of steps towards carbon neutral agriculture, as presented on the overview of GHG emissions and sinks

- **भारत द्वारा उठाये जा रहे कदम**
  - नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है,
  - जुताई रहित कृषि (zero-tillage farming) पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, और
  - कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए धान की खेती से संबंधित जल प्रबंधन में सुधार किया जा रहा है।

संसदीय पैनल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

- यह रिपोर्ट मनरेगा अधिनियम का एक **महत्वपूर्ण विश्लेषण** प्रस्तुत करती है। साथ ही, इसमें मनरेगा अधिनियम से संबंधित **प्रमुख चिंताओं और सुझावों को भी रेखांकित किया गया है।**
  - **इन रेखांकित मुद्दों में शामिल हैं–** फर्जी जॉब कार्ड, व्यापक भ्रष्टाचार, मस्टर रोल को देर से अपलोड करना, मजदूरी और सामग्री के लिए देर से भुगतान, अपर्याप्त वित्तपोषण आदि।
- **इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें**
  - मनरेगा के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन हो, ताकि **साल के बीच में फण्ड की कमी को रोका जा सके।**
  - मजदूरी के **भुगतान में विलंब को रोकना** चाहिए। इसके लिए **समय पर फण्ड जारी करने के लिए** राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय करना चाहिए।
  - मजदूरी दर को **मुद्रास्फीति सूचकांक** के साथ जोड़कर, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए।
  - देश भर में **एक समान मजदूरी और गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करना।**
  - मनरेगा के अंतर्गत **स्वीकृत कार्यों के दायरे का विस्तार** करना चाहिए।
  - वास्तविक समय आधारित आकलन तंत्र के माध्यम से **इस योजना की निगरानी करना तथा सामाजिक लेखा–परीक्षा** आयोजित करना।
  - मनरेगा के तहत **सृजित परिसंपत्तियों के स्थायित्व** पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास** करना और महिला श्रमिकों के लिए **बेहतर कार्यस्थल दशाओं को सुनिश्चित करना।**
  - **लोकपाल की नियुक्ति** करना और संसद **सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।**
- **मनरेगा, 2005** का उद्देश्य "एक वित्तीय वर्ष में कम से कम **100** दिनों की गारंटीकृत मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करना है। इसके तहत स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक **प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को रोजगार** प्रदान किया जाता है। इसके तहत सूखे / प्राकृतिक आपदा वाले अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दिवसों को बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है।

एग्रीबाजार ने परिशुद्ध कृषि (precision farming) में मदद करने के लिए सुदूर संवेदन फसल मॉडल (remote sensing crop model) की शुरुआत की है

- सरकार द्वारा अपने **'एग्रिस्टैक' (Agristack) कार्यक्रम** के लिए **एग्रीबाजार और माइक्रोसॉफ्ट** का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत **किसानों के साथ सुदूर संवेदन फसल मॉडल साझा किया जाएगा।** ज्ञातव्य है कि एग्रीबाजार, भारत का सबसे बड़ा कृषि–व्यापार मार्केट प्लेस है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को **सुदूर संवेदन फसल मॉडल** प्रदान करना है। इसके चलते किसानों को **परिशुद्ध कृषि के तरीकों को आसानी और कुशलता से अपनाने में मदद** की जा सकती है।

> सुदूर संवेदन (Remote sensing): यह दूर से (आमतौर पर उपग्रह या विमान से) किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और निगरानी करने की प्रक्रिया है। इसके तहत उस क्षेत्र से परावर्तित और उत्सर्जित विकिरण का मापन किया जाता है।

- **सुदूर संवेदन फसल मॉडल के बारे में:**
  - इस मॉडल के तहत **वर्चुअल रूप में मृदा और भूमि के बारे में जानकारी** एकत्र की जाती है। इसके लिए भू–अवलोकन केंद्रों (ground observation posts), उपग्रहों और एयरक्राफ्ट ऑब्जरवेशन्स (वायुयान द्वारा अवलोकन) का उपयोग किया जाता है।
  - यह **पोषक तत्वों की कमी; जल की कमी या अधिकता; खरपतवार के प्रकोप; कीटों द्वारा नुकसान; ओलावृष्टि से नुकसान; हवा से होने वाले नुकसान; शाकनाशी से नुकसान; पादप आबादी और उनमें संबंधित रोगों की उपस्थिति आदि के विश्लेषण** में मदद करता है।
  - ऐसे विश्लेषण से प्राप्त डेटा का उपयोग कर **परिशुद्ध कृषि को सहज तरीके से अपनाया जा सकता है।**
    - परिशुद्ध कृषि (Precision farming): यह कृषि प्रबंधन से संबंधित एक अवधारणा है। इसके तहत प्रति इकाई भूमि की औसत उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों सहित अन्य इनपुट्स को सावधानीपूर्वक सटीक मात्रा में उपयोग किया जाता है।
- **एग्रीस्टैक क्या है?**
  - एग्रीस्टैक सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य **भूमि रिकार्ड्स जैसी सूचनाओं के एक डिजिटल डेटासेट का निर्माण करना है।**
  - **इन डेटासेट्स का विश्लेषण निम्नलिखित के बारे में सलाह देने के लिए किया जाएगा:**
    - **बीज खरीदने के बारे** में,
    - खेती की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने में,
    - **मौसम संबंधी जानकारी** प्रदान करने में,
    - **कृषि ऋण** के बारे में जानकारी प्रदान करने में,
    - **कृषि–बीमा** संबंधी जानकारी प्रदान करने में, और
    - औसत **कृषि उपज में सुधार** करने में।

अन्य सुर्खियां

राष्ट्रीय ई–विधान एप्लीकेशन {National eVidhan Application (NeVA)}	• NeVA (पेपरलेस असेंबली या ई–असेंबली) एक ऐसी अवधारणा है, **जिसमें असेंबली (सभा या सदन) के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को शामिल किया जाता है।** • **ई–विधान** का नाम बदलकर नेवा (NeVA) कर दिया गया है। **संसदीय कार्य मंत्रालय** विधान सभा या परिषद् वाले सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में NeVA लागू करने के लिए **नोडल मंत्रालय** है। > ई–विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल एक **मिशन मोड परियोजना है।** • NeVA का लक्ष्य **देश के सभी विधान–मंडलों को एक मंच पर लाना है,** जिससे एक व्यापक **डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके।** • **बिहार विधान परिषद्,** NeVA प्लेटफॉर्म पर जाने वाला **देश का पहला सदन बन गया है।** बिहार सरकार द्वारा साल 2021 के शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया था।
यूरोपीय परिषद् (Council of Europe)	• यूरोपीय परिषद् ने **रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण और युद्ध को लेकर परिषद् से रूस को निष्कासित कर दिया है।** • **यूरोपीय परिषद् के बारे में:** > यह यूरोपीय महाद्वीप का प्रमुख मानवाधिकार संगठन है। > इसमें **47 सदस्य देश शामिल हैं,** जिनमें से **28 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं।** > **स्थापना:** वर्ष 1949 > **मुख्यालय:** स्ट्रासबर्ग, फ्रांस > **बजट:** इसका वित्तपोषण सदस्य देशों द्वारा जनसंख्या और संपत्ति के आधार पर किया जाता है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (Credit Guarantee Fund scheme for Micro and Small Enterprises)	• इस योजना को **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)** तथा **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2000** में शुरू किया गया था। • इसका उद्देश्य **सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को जमानत मुक्त ऋण** (Collateral&Free Credit) **उपलब्ध कराना है।** • इसके तहत प्रति पात्र उधारकर्ता को 2 करोड़ रुपये तक की **निधि (फण्ड)** और **गैर–निधि आधारित** (लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट या साख पत्र, बैंक गारंटी आदि) **ऋण सुविधाएँ** प्रदान की जाती हैं। • इस योजना को लागू करने के लिए **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट** (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises: CGTMSE) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी।
प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना {Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman scheme (PM Poshan)}	• एक संसदीय समिति ने कहा है कि **पी.एम.–पोषण** को संचालित करने हेतु आवंटित निधि का बहुत कम उपयोग हुआ है। • गौरतलब है कि पी.एम.–पोषण योजना को **मिड–डे मील के स्थान पर** लाया गया है। इसे अभी **पाँच वर्ष** (वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26) के लिए शुरू किया गया है। • इस योजना के तहत स्कूलों में **बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है** और स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाया जाता है। • इस योजना का **मुख्य उद्देश्य** सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले **बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।** • इसे **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme)	• इस योजना का उद्देश्य प्री–स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक **समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।** यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) के अनुरूप है। • इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, **तीनों योजनाओं को समाहित किया गया है।** • इसके तहत मुख्य रूप से सार्वभौमिक पहुँच, समानता और गुणवत्ता तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, शिक्षक शिक्षा संस्थानों (Teacher Education Institutions: TEIs) को भी मजबूत किया जाना है। • इसे **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
प्रधान मंत्री–दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना / पी.एम.–दक्ष योजना	• वर्ष 2020–21 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **निम्नलिखित तीन निगमों के माध्यम से पी.एम.–दक्ष योजना** को लागू कर रहा है: ➢ अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,** ➢ अन्य पिछड़े वर्गों / आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों / गैर–अधिसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,** और ➢ कचरा बीनने वालों के साथ–साथ सफाई कर्मचारियों के लिए **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।** • **लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ:** ➢ निःशुल्क **कौशल विकास प्रशिक्षण,** ➢ पात्र उम्मीदवारों को **वज़ीफा** (Stipend), ➢ पाठ्यक्रम पूरा करने का **प्रमाण–पत्र,** ➢ **नौकरी/स्वरोजगार** के अवसर।
वन रैंक, वन पेंशन (OROP) योजना	• सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि जिस तरह से सरकार ने पूर्व सेवा कर्मियों के बीच OROP योजना को शुरू किया था, उसमें **"कोई संवैधानिक कमी"** (Constitutional Infirmity) नहीं है। • **कोश्यारी समिति** ने OROP को **एक समान पेंशन के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार एक समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए,** चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। ➢ इस प्रकार, **पेंशन दरों में कोई भी वृद्धि स्वतः पूर्व पेंशन भोगियों को हस्तांतरित हो जाएगी।**
कार्बन सीमा प्रशुल्क (Carbon Border Tariff)	• यूरोपीय संघ ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर **विश्व का पहला "CO_2 उत्सर्जन प्रशुल्क" लगाने का निर्णय लिया है।** • यह टैरिफ या प्रशुल्क **स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और विद्युत्** के आयात पर लगाया जाएगा। • इस कदम का उद्देश्य कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में **निर्मित सस्ती वस्तुओं से यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना है।** • यह प्रशुल्क **वर्ष 2026** तक लागू नहीं होगा। हालांकि, वर्ष 2023 में इसके लिए **तीन वर्षीय ट्रांजिशन फेज** की शुरुआत की जाएगी। • **चिंताएँ:** यह एक **संरक्षणवादी उपकरण** बन सकता है। ऐसे में यह **तथाकथित "हरित संरक्षणवाद"** की आड़ में विदेशी प्रतिस्पर्धा से स्थानीय उद्योगों को अनुचित तरीके से संरक्षण प्रदान करेगा।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी